

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी-बांदा

1. अधीक्षक, सामुदायिक-बबेरु।
2. प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0के0-कमासिन


पत्रांक:-सी0एम0ओ0/आशा चयन/2021-22/7205

दिनांक 07 दिसम्बर 2021

विषय- आशाओं के रिक्त पदों पर आशा चयन करने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में।

दिनांक 24.11.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित गांवों में शासनादेश संख्या 1656/पांच-10-13-एफ-75/13 दिनांक 04 मार्च 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्राम प्रधानों के सहयोग से "ग्राम सभा" की खुली बैठक में 15 दिवसों के अन्दर आशाओं का चयन कराना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	रिक्तियों की संख्या	गांव का नाम/रिक्तियों की संख्या
1	बबेरु	09	(1) टोलाकलां-1 (2) ब्योंजा-1 (3) हरदौली-1 (4) पेस्टा-1 (5) अधांव-1 (6) अरमार-1 (7) सातर-1 (8) औगासी -1 (9) मिलाथू-1
2	कमासिन	14	(1) ममसी खुर्द-1 (2) चकरेही-1 (3) भदांव-1 (4) जमरेहीनाथ-1 (5) लाखीपुर-1 (6) कोलौरा (मनकहंडी)-1 (7) मटेहना-1 (8) पाण्डेयपुरवा-1 (9) सांडा-सानी-1(10) बनकट (बीरा)-1 (11) खलरिहापुरवा-1 (12) धुंधुई-1 (13) भीती-1 (14) कोर्वा बुजुर्ग-1
	योग	23	


 मुख्य चिकित्साधिकारी
 बांदा

शासनादेश संख्या 1656/पांच-10-13-एफ-75/13 दिनांक 04 मार्च 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियमतः चयन कराना सुनिश्चित करें शासनादेश के इतर अगर कोई भी चयन किया जाता है तो स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

आशा चयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

1. लगभग एक हजार की आबादी पर एक आशा जो उसी गांव की स्थायी निवासी हो।
2. प्राथमिकता के आधार पर विवाहित/विधवा/तलाकशुदा महिला जिसकी आयु 25 से 40 वर्ष हो
3. कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त हो तथा संवाद पटुता नेतृत्व क्षमता एवं समुदाय से बेहतर तालमेल स्थापित करने के गुण हों।
4. कमजोर एवं वंचित वर्गों (अनूसूचित जाति, जन जाति/अल्प संख्यक महिला मुखिया वाले परिवार अत्यन्त निर्धन परिवार भूमिहीन, मजदूरी करने वाले परिवार इत्यादि) पलायन करके दूसरे क्षेत्रों से आने वाले परिवार, गांव के दूरस्थ भागों एवं बसाहटों में रहने वाले परिवार इत्यादि से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये ताकि इन वर्गों तक बेहतर सुविधाओं की पहुंच बने।
5. स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित आबादी के समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये।

आशा चयन प्रक्रिया-

1. रिक्तियों की सूची सभी आवश्यक अर्हताओं चयन प्रक्रिया तथा चयन हेतु निर्धारित समय सीमा के साथ ब्लाक, तहसील एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। साथ ही जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाये।
2. बी.पी.एच.सी./सी.एच.सी. की जिम्मेदारी होगी कि आशा चयन की सूचना का सघन प्रचार-प्रसार, आशा मासिक बैठक अस्पतालों पर सूचना चस्पा कर एवं आशा संगिनी, आंगनवाडी तथा ए0एन0एम0 एवं सी.एच.ओ. के माध्यम से करवाया जाये। आंगनवाडी केन्द्रों स्वास्थ्य उपकेन्द्रों गांव में उपलब्ध जन सूचना पट्ट, पंचायत भवन, स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के सूचनापटों पर नवीन आशा चयन हेतु सूचना एवं आवश्यक अर्हताएं चस्पा की जांय।
3. ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहां आशा का चयन निर्धारित किया गया हो डुग्गी पिटवाकर प्रचार-प्रसार कराये जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंच सके।
4. नोडल अधिकारी-अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर.सी.एच. आशा चयन की प्रक्रिया में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
5. ए0एन0एम0 समुदाय में जाकर चिन्हित समूह/स्थानीय स्वयं सेवी समूह में जाकर चर्चा-परिचर्चा करेगी तथा समुदाय को आशा की भूमिका/उत्तरदायित्व/ समुदाय स्वीकार्यता आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करेगी।
6. ए0एन0एम0 अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आवेदकों को सूचीबद्ध करेगी तत्पश्चात् उपर्युक्त चयन मानकों के अनुसार सर्वोत्तम तीन अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा चयनित तीन नामों में से एक नाम ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वाधिक योग्यता के आधार पर अनुमोदित किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक जिसमें एक नाम सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जायेगा इसके कार्यवृत्त को अन्ततः ग्राम पंचायत द्वारा ब्लाक नोडल अधिकारी (अधीक्षक/प्रभारी

चिकित्साधिकारी) को प्रेषित किया जायेगा। इसके पश्चात् प्राग स्वास्थ्य समिति आशा के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी।

आशा चयन के मानक-

- | | |
|--|-----------------|
| 1. कक्षा 8 पास | 10 अंक। |
| 2. कक्षा 10 पास अथवा इससे अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त | 2 अंक अतिरिक्त। |
| 3. विचार-विमर्श की क्षमता, संवाद क्षमता एवं नेतृत्व क्षमता | 2 अंक |
| 4. तलाकशुदा/विधवा अभ्यर्थी | 1 अंक अतिरिक्त। |
| कुल योग | 15 अंक |

चयन उपरान्त समस्त अभिलेखों की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करें-

1. सूचना पट्ट की जानकारी।
2. ए0एन0एम0 को आशा रिक्तियों हेतु निर्गत पत्र।
3. प्रचार-प्रसार के अभिलेख।
4. चयनित अभ्यर्थियों की सूची समस्त आवेदकों सहित, निम्न प्रारूप पर प्रेषित करें।

क्र. सं.	नांव का नाम	आवेदक का नाम	पति का नाम	योग्यता	श्रेणी (Category)	शैक्षिक योग्यता का विवरण (अंक तालिका)		मूल्यांकन का विवरण			चयनित आशा का नाम	टिप्पण	
						कक्षा 8 पास	कक्षा 10 पास अथवा अधिक शैक्षिक योग्यता	विचार-विमर्श/संवाद एवं नेतृत्व क्षमता	तलाकशुदा/विधवा	प्राप्तांक			

हस्ताक्षर बी.पी.एम./बी.सी.पी.एम.
सामु0/प्रा0स्वा0के0 का नाम

हस्ताक्षर अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी
सामु0/प्रा0स्वा0के0 का नाम

5. ग्रामसभा कार्यवाही कार्यवृत्त।
6. आशाओं के आवेदन पत्र की छाया प्रति।
7. आशा की शैक्षिक योग्यता के अभिलेखों की छायाप्रति।
8. चयनित आशा का अनुबन्ध पत्र (वी0एच0एस0एन0सी0 द्वारा सम्पादित)
9. चयन सम्बन्धी अपनायी गयी अन्य प्रक्रिया की सूचना।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बांदा

दिनांक

दिसम्बर 2021

पत्रांक-सी0एम0ओ0/आशा चयन/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 19 ए विधान सभा मार्ग, विशाल काम्प्लेक्स-लखनऊ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3. जिलाधिकारी अध्यक्ष/जिला स्वास्थ्य समिति, बांदा।
4. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी-आर.सी.एच. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आशा चयन अपनी देख-रेख में सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
5. डिप्टीजनरल/डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर-बांदा।
6. बी.पी.एम./बी.सी.पी.एम. बवेरु, कमासिन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग से आशा चयन कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित समस्त ए0एन0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश संख्या 1656/पांच-10-13-एफ-75/13 दिनांक 04 मार्च 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ग्राम प्रधानों के सहयोग से ग्राम सभा की खुली बैठक में आशाओं का चयन कराना सुनिश्चित करें, इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बांदा।

आवेदन का प्रारूप

1. नाम -----
2. आधार कार्ड संख्या-----
3. पति का नाम-----
4. जन्मतिथि-----
5. पदनाम-----
6. ग्राम का नाम-----
7. ग्राम पंचायत का नाम-----
8. ब्लॉक का नाम-----
9. जाति / श्रेणी-----
10. आवेदित स्थल का नाम-----
11. स्थायी पता -----



9. मोबाइल नं. -----

10. शैक्षिक योग्यता का विवरण

क्र. सं.	योग्यता	बोर्ड / विश्व विद्यालय	वर्ष	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत

6. कार्य अनुभव-----

नोट:- शैक्षिक एवं कार्य अनुभव के प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनाएं सत्य हैं और असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये इसकी जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगी।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

अनुबन्ध पत्र का नमूना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एवं आशा के मध्य जारी किये जाने वाला
सहमति पत्र

मैं..... पत्नी..... आयु..... ग्राम

..... ग्राम पंचायत..... आवंटित जनसंख्या पुरतों की
संख्या..... ब्लाक..... जनपद..... दिनांक.....

को अपनी सहमति से समाज की सेवा करने हेतु (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के रूप में कार्य करने के लिये निम्न शर्तें स्वीकार करती हूं।

1. यह कि मैं स्वयं को आवंटित आबादी की ही निवासिनी हूं तथा इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्त सौंपे गये कार्यों का प्रतिपादन करने के लिये कटिबद्ध हूं।
2. मुझे स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कोई राजकीय/अर्द्धशासकीय सेवा नहीं है तथा मेरे कार्यों के लिये मुझे किसी भी प्रकार का वेतन या मानदेय देय नहीं होगा।
3. मैं अपने क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला एवं समाज के मध्य कडी का कार्य करूंगी तथा क्षेत्रीय आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्री महिला को नियमित सहयोग प्रदान करूंगी।
4. यह कि अपने क्षेत्र में समाज को शुद्ध पेयजल पोषण एवं वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता के विषय में जानकारी दूंगी तथा प्रेरित करूंगी।
5. ग्राम पंचायत को यह अधिकार होगा कि आशा के प्रशिक्षण के दौरान या उसके बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो आशा के रूप में मेरी सहमति निरस्त समझी जाय।
6. यह कि यदि मेरे द्वारा आवंटित क्षेत्र में अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जाये या तीन माह तक संतोषजनक कार्य न किया जाये तो मुझे कार्य करने के लिये दी गयी सहमति निरस्त कर दी जायें।
7. यह कि मेरे द्वारा समाज में प्रदान की गयी सूचनाएं या तथ्य असत्य पायी जाएं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विभाग अधिकृत होगा।
8. यदि मैं समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं पेयजल के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रभाव लाने में सफल न हो सकूं तो मेरी सहमति निरस्त कर दी जाय।

हस्ताक्षर आशा

हस्ताक्षर ए०एन०एम०

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान (मोहर सहित)

प्रति हस्ताक्षरित

अधीक्षक/प्रभारी चिकि.अधि.

सामु.स्वा.के./प्रा.स्वा.के.....